

वरीय परीयोजना अभियंता का कार्यालय  
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.

कार्य प्रमडल, भागलपुर।

॥ निविदा आमत्रण सूचना ॥

(केवल ई-टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर)

निविदा संख्या-----391-

भागलपुर, दिनांक- 22/06/18..

राज्य स्कीम अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना जननायक कपूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों की चाहर दीवारी निर्माण योजनान्तर्गत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड / केन्द्रीय / राज्य सरकार / एम.ई.एस. / सी.पी.डब्ल्यू.डी. / सार्वजनिक क्षेत्र में समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों से दो बीड प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणी के अनुसार छात्रावास के चाहर दीवारी निर्माण हेतु मदवार दर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। यदि संवेदक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में पूर्व से निबंधित नहीं है, तब एकरारनामा के पूर्व इन्हें निगम में समुचित श्रेणी में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। Joint venture स्वीकार्य नहीं होगा।

क्र. सं.	जिला	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु० लाख में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में) (अप्रत्यपणीय)	अग्रधन की राशि (लाख में)	Bid Processing Fee (Online Payment) (अप्रत्यपणीय) (रुपये में)	कार्य समाप्ति की अवधि (माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भागलपुर	भागलपुर जिलाधीन जननायक कपूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	34.90	5,000.00	0.70	1180	4 माह

2. बीड पत्र Download करने की अवधि एवं समय

दिनांक- 11.07.2018 के 10:00 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 19.07.2018 को 03:00 बजे अपराह्न, तक सिर्फ वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर।

3. बीड Upload की अंतिम तिथि एवं समय

दिनांक- 19.07.2018 को 03:00 बजे अपराह्न तक वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर।

4. तकनीकी बीड खोलने की तिथि, समय एवं स्थान

दिनांक- 20.07.2018 को 03:30 बजे अपराह्न से वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर।

5. निविदा की वैध अवधि

निविदा खोलने की तिथि से 120 दिन तक।

6. क्रमांक 2, 3 एवं 4 (निविदा संबंधित तिथि) में किसी दिन अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस मान्य होगा तथा अलग से इसकी कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

7. तकनीकी बीड में सफल संवेदकों का ही वित्तीय बीड सिर्फ वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर खोला जायेगा।

8. ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर पंजीकृत होना होगा। यह उन्हें वेबसाइट ([www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in)) से डाउनलोड करने / ई-टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनिवार्य है।

9. ई-निविदा पत्र, अन्य नियम एवं शर्तें वेबसाइट ([www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in)) से प्राप्त किया जा सकता है।

10. संवेदक द्वारा परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर भेजना है। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट / अग्रधन की राशि / सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बीड जमा करने की अंतिम तिथि 20.07.2018 के अपराह्न 3.00 बजे तक वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमडल, भागलपुर, अथवा उप मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना में परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि को मूल रूप से जमा करना अनिवार्य है।

11. किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शुद्धि पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

12. ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं पंजीकरण हेतु ई-परोक्योरमेन्ट, हेल्प डेस्क-22, प्रथम मंजिल एमO22, बैंक ऑफ इंडिया भवन रोड संO25, श्रीकृष्ण नगर, पटना-800001 (दूरभाष संख्या-0612-2523006 एवं

7542028164) से सम्पर्क किया जा सकता है।

13. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा वेबसाईट <http://brpnn.bih.nic.in>, <http://www.prdbihar.gov.in> पर देखा जा सकता है।

सम्पर्क पदाधिकारी :-

श्री विनय कुमार, वरीय परियोजना अभियंता - मो. नं. 9473400397

श्री मधुसूदन आनन्द डम्पी, परियोजना अभियंता- मो. नं. 9471004829

  
22.02.18

वरीय परियोजना अभियंता

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

कार्य प्रमंडल, भागलपुर।

**नियम एवं शर्तें :-**

1. निविदा/दर प्रस्ताव के साथ अग्रधन की राशि निम्न रूप में सलग्न करना अनिवार्य है।
  - (i) कॉलम- 5 में परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, भागलपुर, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के पदनाम से निर्गत हो तथा भागलपुर में भुगतये हो।
  - (ii) कॉलम- 6 में अग्रधन की राशि को निम्न रूप से सलग्न करना अनिवार्य है जो वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, भागलपुर, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, के पदनाम से Pledged होगा।
    - a. बिहार राज्य से निर्गत, बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा / NSC/KVP
    - b. एक करोड़ से उपर के परियोजना के लिए शर्तारहित बैंक गारंटी (बीड पीरियड के 45 दिनों बाद तक वैध) जो किसी भी अनुसूची भारतीय बैंक से निर्गत हो। (बिहार राज्य के बाहर के बैंक से निर्गत की स्थिति में एकरारनामा के पूर्व बिहार राज्य अन्तर्गत किसी अनुसूची बैंक से परावर्तित कराना होगा)।
    - (iii) कॉलम- 7 में अंकित राशि को बीड प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन मोड यानि इन्टरनेट भुगतान गेटवे (क्रेडिट/डेबिट कार्ड), नेट बैंकिंग, एनआईएफटी0/आरटी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है।
  - a. "Bid processing Fee is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/Debit Card), Net banking, NEFT/RTGS."
  - b. "Bid along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of Online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
2. संवेदक को तकनीकी बीड में निम्न अर्हता पूर्ण करना होगा तथा समस्त प्रमाण पत्रों (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) को स्कैन कर अपलोड (UPLOAD) करना अनिवार्य है। निविदा प्राप्ति के बाद कोई भी कागजात/प्रमाण-पत्र आदि स्वीकार्य अथवा विचार योग्य नहीं होगा।
  - (i) आयकर PAN/TAN वाणिज्य कर एवं श्रम विभाग में निबंधित होने का प्रमाण पत्र।
  - (ii) संवेदक को किसी सरकारी/बिहार राज्य-पुल निर्माण निगम लि0, द्वारा (क) Debar (ख) Black listed एवं (ग) Rescind न होने की सूचना का शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य है।
  - (iii) विगत पांच वित्तीय वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष का Civil Construction Work से संबंधित कार्य का ऑडिटेड टर्न ओवर (A.T.O.), जिसमें निविदित कार्य विशेष के अनुमानित लागत का किसी एक-वर्ष में कम से कम 40% के समतुल्य होना अनिवार्य है। टर्न ओवर के साक्ष्य के रूप में Audited profit & loss Account सलन करना भी अनिवार्य है।
  - (iv) संवेदक को उनके जिम्मे, सम्पादित किये जा रहे अन्य कार्यों के एकरारनामा की राशि बीड प्राप्ति की अंतिम तिथि तक सम्पादित किये गये कार्यों की राशि एवं सम्पादन हेतु अवशेष कार्यों की राशि की स्पष्ट विवरणी, कार्यवार तैयार कर अलग से तालिका रूप में, शपथ-पत्र के माध्यम से समर्पित करना अनिवार्य है। यदि उनके जिम्मे कोई कार्य नहीं भी है तो भी शपथ-पत्र के माध्यम से शून्य प्रतिवेदन करना अनिवार्य है।
  - (v) संवेदक द्वारा Bid Amount का 25 प्रतिशत invest करने का शपथ पत्र।
  - (vi) उपरोक्त बिन्दु (ii), (iii), (iv) एवं (v) से संबंधित शपथ पत्र का प्रारूप वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। शपथ-पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि एवं प्राप्ति की तिथि के बीच अवधि का होना अनिवार्य है।
  - (vii) विगत पांच वित्तीय वर्षों के अन्दर में प्रत्येक निविदित कार्य के 40% राशि के समतुल्य अंकित कार्य को पूर्ण करने का अनुभव (सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा निर्गत)। यह आवश्यक नहीं है कि संबंधित निर्माण उक्त पाँच वित्तीय वर्ष में ही आरम्भ हुआ हो।
  - (viii) उपरोक्त कार्यों हेतु क्रमवार आहर्ता से संबंधित अनुभव प्रमाण-पत्र (सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा निर्गत) :-

कार्यमद	किए गए कार्य की मात्रा।	किए गए कार्य की अवधि।
	क्र0 1 भागलपुर	
(i) ब्रीक मेशनरी कार्य	69.00 (घन0मी0)	विगत पांच वित्तीय वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष में होना अनिवार्य है।
(ii) कंक्रीट कार्य	45.390 (घन0मी0)	

(x) Financial Resource/Liquid Asset के रूप में निविदा के साथ संलग्न ऽ प्राक्कलित राशि के 10% के समतुल्य होना अनिवार्य है। (प्रारूप वेबसाईट से डाउनल होगा। दर प्रस्ताव प्रभावी अनुसूची दर से कम, बराबर या अधिक प्रतिशत में अंकित व होगा। दर प्रतिशत को अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी अंकित करना होगा।

(ii) निविदा दर प्रभावी, अनुसूचित दर से कम दिये जाने की स्थिति में अभियंता सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-3376(इ.) दिनांक 17.08.2010 के का अनुपालन किया जाएगा।

- (iii) सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 2046(एस0) दि0- 06.03 प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदाओं में न्यूनतम अधिसीम प्रतिशत कम तक निर्धारित की जाती है। 10 प्रतिशत से ज्यादा दर उद्धृत रहने वाले (iv) निविदा में, अन्तिम रूप में संवेदक का चयन होने के पश्चात, एकरारनामा क निधि (EPF) कार्यालय में निबंधन करना अनिवार्य है अन्यथा उनके पक्ष में किये गये भविष्य में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं उनका अग्रघन राशि जब्त कर लिय तकनीकी बीड में एक पृथक पृष्ठ (चेकलिस्ट) पर समस्त वांछित सूचनाओं यथा अ निबंधन आदि को पृष्ठ संख्या के साथ अंकित करते हुए अपलोड (UPLOAD) होने निविदा दाता को सलाह दी जाती है कि निविदा देने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण अन्य स्थितियों को पूर्ण अवगत हो लें। कार्य आवंटन के पश्चात् कार्य स्थल पर का: में मान्य नहीं होगा। निर्धारित समयवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर एकरारनामा : जायेगी।
6. दस्तावेज की मूल प्रति को सक्षम पदाधिकारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।
7. निगम द्वारा अनुमोदित ब्रांड का स्टील अवयव एवं ग्रेड सीमेंट का व्यवहार करना संवे
8. ओभर हेड मद के अन्तर्गत होने वाले व्यय यथा गुण नियंत्रण, गोदाम निर्माण-स पानी, पर्यवेक्षण हेतु वाहन एवं वैट इत्यादि का वहन संवेदक द्वारा ही किया जायेगा।
9. अनुमानित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन
10. निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रघन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग
11. सशर्त बीड स्वीकार्य नहीं होगा। निगम के नियमावली अंतर्गत कार्य सम्पन्न होगा।
12. निविदादाता द्वारा फर्जी/गलत अनुभव प्रमाण-पत्र या निविदा से संबंधित अन्य ग जमा अग्रघन की राशि को जब्त कर ली जायेगी।
13. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए बीड को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

वरीय  
बिहार राज्य  
कार